न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः— राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः— 16/18 प्रार्थना पत्र

अनवान

1. प्रेम देवी पिता रामा जाति भील आयु वयस्क निवासी घाटी रायपुर घाटी हाल गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1. रामा पिता उमा जाति भील निवासी घाटी रायपुर घाटी हाल गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. हुक्मा पिता रामा जाति भील निवासी रायपुर घाटी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. सुखलाल पिता गोकल जाति भील निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन

—अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक 06.06.2018

प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया की मौरूषी पैतृक कृषि आराजियात ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित साबिक खाता 25 में अंकित सा.आ.सं. 1311/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, आ.सं. 1312/2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, आ.सं. 1387/1 ख रकबा 1बीघा 2 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त संपूर्ण भूमियों प्रार्थीया के दादा जी उमा पिता देवा भील के नाम दर्ज रेकार्ड थी। साबिक जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 मे अंकित कृषि आराजियात प्रार्थीया की मौरूषी पैतृक कृषि भूमियां है। प्रार्थीया धर्म से हिन्दु होकर हिन्दु विधी से शासीत होती है। प्रार्थीया के मूल पुरूष उमा जी थे व प्रार्थीया के विपक्षी संख्या 02 से 04 आपस में सगे भाई बहन होकर विपक्षी संख्या 01 के प्रथम श्रेणी के वारिसान है। प्रार्थीया के परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः—

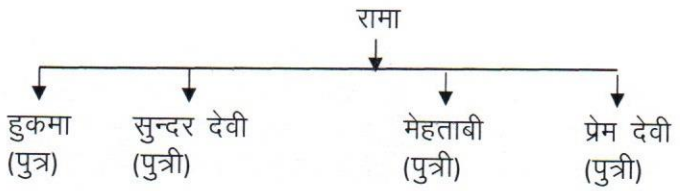

वाद ग्रस्त कृषि आराजियात जिका वर्णन वादपत्र की कलम संख्या 01 में किया गया है उक्त संपूर्ण भूमियां प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की मौरूषी पैतृक कृषि भूमियां है जिसमें प्रार्थीया एवं विपक्षी गण का उसके पिता के हिस्से में जन्म से बराबर हक एवं हिस्सा है। प्रार्थीया का अपनी मौरूषी कृषि आराजियात मे 1/5 हिस्सा व अन्य विपक्षी संख्या 01 से 04 का 4/5 हिस्सा है प्रार्थीया अपने 1/5 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। तहसील रायपुर में भू प्रबन्ध होने पर वाद पत्र की कलम संख्या 01 में अंकित साबिक आराजियात के नवीन नम्बर कायम किए गए। जिससे ग्राम रायपुर के साबिक खाता सख्या 25 में अंकित कृषि आराजियात कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा के नवीन नम्बर आ.सं 566 रकबा रकबा 0.27 है0, आ. स. 567 रकबा 0.06 है0, आ.स. 564 रकबा 0.14 है0, आ.स. 565रकबा 0.63 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 1. 10 है0 कायम किए गए। इसके पश्चात आ.सं 564 व 565 में से कुछ रकबा प्रार्थीया के पिता द्वारा विक्रय कर देने से इनके नवीन नम्बर 4193/564 व 4195/565 कायम किए गए इसके बाद उक्त दोनो नम्बर में से आ.

सं. 4193/564 रकबा 0.08 है0 संपूर्ण व आ.सं 4195/565 रकबा 0.50 है0 में से 0.05 है0 भूमि दिनांक 9.11. 2016 को प्रार्थीया के पिता ने नाथु पिता कजोड भील को विक्रय कर दी। इस तरह प्रार्थीया के पिता ने प्रार्थीया की मौरूषी कृषि भूमि में से 0.32 है0 भूमि को विक्रय कर दिया। प्रमाण में नयी जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। ग्राम रायपुर में स्थित प्रार्थीया की उक्त मोरूषी पैतृक कृषि आराजियात में प्रार्थीया के पिता विपक्षी संख्या 01 ने आं सं. 564 व 564 में से 0.32 है0 भूमि विक्रय करने के बाद आ.सं. 566 रकबा 0.27 है0 आ.सं. 567 रकबा 0.06 है0 आ.सं. 4195/565 रकबा 0.45 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.78 हे0 शेष बची जिसमें प्रार्थीया का 1/5 हिस्सा तथा शेष 4/5 हिस्सा विपक्षीगण का है। प्रार्थीया अपने 1/5 हिस्सा पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया के पिता विपक्षी सख्या 01 काफी वृद्ध होकर उनकी मानसिक स्थिति कमजोर होने से उसका नाजायज फायदा उठाते हुए विपक्षी संख्या 02 ने उनको बहला फुसलाकर प्रार्थीया की मोरूषी पैतृक भूमियों को अन्यत्र विक्रय करवा खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जबकि प्रार्थीया के पिता को भूमियों को विक्रय करने की कोई विधिक आवश्यकता नही है तथा प्रार्थीया के पिता को संपूर्ण कृषि भुमियों को विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नही है। विपक्षी संख्या 02 व उसकी पत्नी ने आपस में षडयंत्र रचते हुऐ प्रार्थीया के पिता जो काफी वृद्ध होकर उनका मानसिक संतुलन कमजोर रहता है जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए उनको बहला फुसलाकर प्रार्थीया की मौरूषी भूमियों से उसको महरूम करने की नियत से संपूर्ण भूमियों को रहन बय बक्षीस करवाने पर आमादा हो रहा है। विपक्षी सख्या 02 ने अपने इस नाजायज आशय की पूर्ति के लिए प्रार्थीया की माता को मारपीट कर घर के बाहर निकाल दिया है जिससे प्रार्थीया की माता दर दर की ठोकरे खा रही है। प्रार्थीया का उक्त पैतृक भुमियों में जन्म से अपने पिता के साथ 1/5 हिस्सा है जिसे प्रार्थीया कानूनन प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रार्थीया के पिता ने पूर्व मे वादग्रस्त भूमियों में से 0.32 है0 भूमि विक्रय कर दी है। जिससे विपक्षी संख्या 01को वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नही है। विपक्षी सख्या 02 ने विपक्षी सख्या 01 को बहला फुसला कर बिना किसी विधिक आवश्यकता के तथा प्रार्थीया को उसके जायज हक से महरूम करने की नियत से आ स 566 रकबा 0.27 हे0 आ.सं. 4195/565 रकबा 0.45 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.72 हे0 में से 0.22 है0 भूमि विपक्षी सख्या 3 को विक्रय करा दी तथा शेष बची भूमि को विपक्षी सख्या 02 ने गिफट डीड के जरिए अपने नाम करवा ली। उक्त विक्रय पत्र एवं दान पत्र प्रार्थीया के मुकाबले शुरू से ही शुन्य होकर बेअसर है। जिससे विपक्षी संख्या 02 व 03 को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। विपक्षी सख्या 01 ने वाद ग्रस्त मोरूषी भूमि से अपनी हिस्से को पूर्व में ही विक्रय कर दिया तथा शेष बची मोरूषी भूमि को विपक्षी सख्या 01 को विक्रय एवं दान करने का कोई विधिक अधिकार नही है। जिससे प्रार्थीया को वाद ग्रस्त आराजियात में उसके उक्त 1/5 हिस्से की घोषणा करवाई जाकर प्रार्थीया के 1/5 हिस्से का विभाजन कराए जाने की घोष्णात्मक एवं विभाजन की डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया अपनी मौरूषी पैतृत कृषि भूमियों पर अपने 1/5 हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। विपक्षी सख्या 02 ने विपक्षी सख्या 01 को बहला फुसलाकर धोखास्पद तरीके से प्रार्थीया की संपूर्ण पैतृक भूमियों को रहन बय बक्षीस करवाने पर आमादा है। विपक्षी संख्या 02 ने दिनांक 20.2.2018 को प्रार्थीया को धमकी दी कि तेरा यहा कोई हक नही है भूमियां हमारे नाम पर है तू अपना कब्जा हटा ले नही तो तुझे जबरन बेदखल कर देगे यहां दुबारा आई तो तेरी हत्या कर देगे। विपक्षी सख्या 01 व 02 प्रार्थीया को जबरन उसके कब्जे काश्त. एवं हक हिस्से की भूमियों से बेदखल कर भूमियों को अन्यत्र रहन बय बक्षीस करने पर आमादा है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया प्रथम दृष्टया मामला है वादग्रस्त भूमियां प्रार्थीया की मौरूषी पैतृक भूमियां है जिसमे प्रार्थीया का 1/5 हिस्सा जन्म से निहित है जिस पर प्रार्थीया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। विपक्षीगण ने जबरन वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया के उसके 1/5 हिस्से को रहन बय बक्षीस कर दिया है तथा उसे जबरन बेदखल करने पर आमादा है यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से नही रोका गया तो प्रार्थीया अपने जायज हक से महरूम हो जाएगी व प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन अर्थ में नही किया जा सकेगा तथा प्रार्थीया को भारी असुविधा होगी जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक एव न्यायोचित हो गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 15.3.2018 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये । नोटिस की पालना में विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही है अतः इनके

खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित तथा स्थगन हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया गया न्यायहित में विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर की नवीन आराजी संख्या 566 रकबा 0.27 है0, आराजी सख्या 567 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 4195/565 रकबा 0.45 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.78 है0 को विपक्षीगण किसी अन्य को रहन बय बक्षीस नही करे तथा उक्त भूमि में वादीया के हिस्से पर फसल काश्त कर, फसल लाभ लेने में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वंय उत्पन्न करे ना ही किसी अन्य से करावें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध विपक्षीगण ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक जारी की जाती है। निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में आज दिनांक 06.06.2018 को सुनाया गया।

राजलक्ष्मी गहलोत
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा